प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1.जिला ओपी एसीबी सीकर, थाना प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्रनिब्यूरो जयपुर वर्ष 2023
प्र0सू0रि0 सं. 169/2023 दिनांक 3/7/2023

2.(i) अधिनियम..... भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) धारायें ..... 7 .....
(ii) अधिनियम.....धारायें.....
(iii) अधिनियम..... धारायें.....
(iv) अन्य अधिनियम एवं धारायें .....

3.(क) रोजनामचा आम रपट संख्या..... 573 ..... समय ..... 5:50 pm .....
(ख) अपराध घटने का दिन गुरूवार दिनांक :– 27.04.2023 समय .....
(ग) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक :– ..... समय .....

4. सूचना की किस्म :– लिखित/मौखिक :– लिखित

5. घटनास्थल :– राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम सीकर आगार, सीकर।
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी :– दक्षिण दिशा में करीब 4 किलोमीटर
(ब) पता :– राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम सीकर आगार, सीकर।
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना ..... जिला .....

6. परिवादी/सूचनाकर्ता :–
(अ) नाम :– श्री लाल सिंह
(ब) पिता/पति का नाम :– श्री रामसिंह
(स) जन्म तिथि/वर्ष :– 38 वर्ष
(द) राष्ट्रीयता– ..... भारतीय .....
(य) पासपोर्ट संख्या .....
जारी करने की तिथि ..... जारी होने की जगह .....
(र) व्यवसाय :– .....
(ल) पता :– गली नं.02, राजपुतो की गली, रामसागर चोराहा जोधपुर पुलिस थाना मन्डोर जिला जोधपुर

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित :–
श्री विजय सिंह पुत्र श्री बलवंतदान उम्र 59 वर्ष जाति चारण निवासी ग्राम पोस्ट काशी का बास, पुलिस थाना सदर सीकर, जिला सीकर हाल एटीआई, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, सीकर आगार, सीकर।

8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :–.....
..... कोई देरी नहीं हुई .....

9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये)
.....

10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य .... रिश्वती राशि 20,000 रूपये.....

11. पंचनामा/यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) .....

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये) :–

संक्षिप्त हालात इस प्रकार है कि दिनांक 27.04.2023 को समय 09.00 एएम पर परिवादी श्री लालसिंह पुत्र श्री रामसिंह, जाति राजपुत, उम्र–38 वर्ष, निवासी गली नं.02, राजपुतो की गली, रामसागर चोराहा जोधपुर पुलिस थाना मन्डोर जिला जोधपुर ने उप अधीक्षक पुलिस के समक्ष एक लिखित प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि उसके द्वारा फर्म मैसर्स ढिलो हाईवे रजि. बरनाला पंजाब वालो से दो बसे लेकर सीकर आगार में चुरू–जयपुर रूट पर लगा रखी बसो को सीकर से जोधपुर रूट पर लगाने की एवज में श्री विजय सिंह, एटीआई, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, सीकर आगार, सीकर मंथली के रूप में मेरे से 20,000 रूपये बतौर रिश्वत की मांग कर रहा है। मजिद दरियाफ्त पर परिवादी ने प्रार्थना पत्र स्वयं द्वारा हस्तलिखित होना व प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का सही होना बताते हुये श्री विजय सिंह, एटीआई एवं श्रीमति मुन्केश लाम्बा, मुख्य

प्रबन्धक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, सीकर आगार, सीकर से पहले की कोई रंजीश अथवा उधार लेनदेन नहीं होना बताया। प्रार्थना में अंकित तथ्यो से प्रथम दृष्टया मामला रिश्वत लेन–देन का पाया जाने पर कार्यालय का डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के मंगवाया जाकर परिवादी श्री लालसिंह को टेप रिकार्डर चालू व बन्द करने की विधि समझाई गई। उक्त कार्यवाही की फर्द सुपुर्दगी डिजिटल टेप रिकार्डर पृथक से तैयार की गई। टेप रिकार्डर श्री रामनिवास कानि. को सुपुर्द कर रिश्वत की मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु परिवादी के साथ रवाना किया गया।

तत्पश्चात दिनांक 27.04.2023 को समय 01.30 पीएम पर परिवादी लालसिंह ने उप अधीक्षक पुलिस के मोबाईल पर जरिये वाटसअप कॉल कर बताया कि मैंने राजस्थान पथ परिवहन, सीकर आगार में श्री विजय सिंह, एटीआई से बात की तो उसने मेरा कार्य करवाने की एवज में चार हजार रूपयें मंथली के हिसाब से पॉच महिनो के बीस हजार चीफ मेनेजर (मैडम) के नाम से मांग की है जिस पर मैने रूपये दो तारीख को देने की कही है। मुझे आवश्यक कार्य होने से मैं आपके कार्यालय नहीं आ सकता। जिस पर उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी को दिनांक 02.05.2023 को 09.30 एएम पर कार्यालय में आरोपी को रिश्वत में दिये जाने वाले बीस हजार रूपये साथ लेकर उपस्थित होने की कही एवं श्री रामनिवास कानि. को परिवादी को वही छोड़कर आने की मुनासिब हिदायत दी गई। समय 02.00 पीएम पर श्री रामनिवास कानि. उपस्थित कार्यालय आया एवं उप अधीक्षक पुलिस को डिजिटल टेप रिकार्डर सुपुर्द कर बताया कि " सीकर रोडवेज बस स्टेण्ड डीपो के बाहर पहूॅच मैने परिवादी को टेप रिकार्डर सुपुर्द कर दिया, जिस पर परिवादी टैप रिकार्डर लेकर रोडवेज सीकर डीपो में अन्दर चला गया तथा परिवादी के रोडवेज सीकर डीपो से वापिस बाहर आने पर मैने टेप रिकार्डर परिवादी से प्राप्त कर लिया।" टेप रिकार्डर को सुना गया तो परिवादी द्वारा जरिये वाटसअप कॉल बताये गये कथनों की पुष्टि होती है। डिजिटल टेप रिकार्डर मय परिवादी के प्रार्थना पत्र के अग्रिम कार्यवाही हेतु उप अधीक्षक पुलिस द्वारा मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द करने पर प्रार्थना पत्र एंव डिजीटल वॉईस रिकार्डर मय मैमेारी कार्ड के प्राप्त कर सुरक्षित अलमारी में रखा गया। दिनांक 05.05.2023 को समय 09.30 एएम पर परिवादी श्री लालसिंह के अग्रिम कार्यवाही करवाने हेतु उपस्थित कार्यालय आने पर उसके द्वारा दिनांक 27.04.2023 को उप अधीक्षक पुलिस को पेश प्रार्थना पत्र बाबत मजिद दरियाप्त की गई तो प्रार्थना पत्र स्वंय के द्वारा हस्त लिखित होना बताया एवं दिनांक 27.04.2023 को आरोपी विजय सिंह, एटीआई से सीकर डीपो में रिश्वत की मांग करने के बारे में बताया जिसको कार्यालय के डीजीटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड मे रिकार्ड किया गया था। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने टेप रिकार्डर को सुना तो परिवादी द्वारा बताई बातो की ताईद हुई। तत्पश्चात परिवादी को कार्यवाही हेतु कहॉ गया तो परिवादी ने बताया कि आज मेरी गाडीयों में काफी नुकसान हो गया जिनको ठीक करवाने जाना है। कार्यवाही मै सोमवार को करवाउंगा। जिस पर परिवादी को बाद हिदायत रूखसत किया गया।

तत्पश्चात दिनांक 08.05.2023 को समय 10.00 एएम पर परिवादी श्री लालसिंह के अग्रिम कार्यवाही करवाने हेतु बीस हजार रूपये साथ लेकर उपस्थित कार्यालय आया। समय 10.15 एएम पर पूर्व से पाबन्दशुदा गवाह श्री सुमेर सिंह, सिपाही एंव श्री चरण सिंह पूनियां सिपाही, आबकारी निरोधक दल सीकर उतर, सीकर के उपस्थित कार्यालय आने पर कार्यालय में मौजूद परिवादी श्री लालसिंह का दोनों गवाहान से आपस में परिचय करवाया जाकर परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पढकर सुनाया गया तथा प्रार्थना पत्र पर दोनों गवाहान के हस्ताक्षर करवाये जाकर मामलें में गवाह रहने हेतु सहमति प्राप्त की गई। समय 11.00 एएम पर गवाहान के समक्ष परिवादी श्री लालसिंह ने हिदायत देने पर आरोपी श्री विजय सिंह, एटीआई, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, सीकर आगार, सीकर को रिश्वत के रूप में दिये जाने वाले नोट पांच–पांच सौ रूपये के 40 नोट कुल 20,000 रूपये पेश किये जिनके नम्बर फर्द पेशकसी में अंकित करवाकर नोटों पर श्री रोहिताश कुमार एचसी नं. 18 से हस्ब कायदा फिनोफ्थलीन पाऊडर लगवाया गया। रिश्वत के लेन–देन के समय होने वाली बातचीत को सावधानी पूर्वक टेप करने हेतु कार्यालय का डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के परिवादी श्री लालसिंह को सुपुर्द कर मुनासिब

हिदायत दी गई। इस कार्यवाही की विस्तृत फर्द पेशकसी व सुपुर्दगी नोट पृथक से तैयार की गई। कार्यालय में की जाने वाली कार्यवाही पूर्ण कर मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान श्री सुमेर सिंह एंव श्री चरण सिंह पूनियां, कार्यालय स्टाफ के, श्री मूलचन्द कानि., श्री कैलाशचन्द कानि. नं. 568, श्री अमित कुमार कनिष्ठ सहायक, के जरिये सरकारी वाहन मय चालक श्री रूपेश एवं परिवादी श्री लालसिंह को कानि. रामनिवास के साथ मोटर साईकिल व श्री रोहिताश्वसिंह एएसआई मय श्री राजेन्द्र कानि. 126 को उनकी निजी मोटर साईकिल से एवं श्रीमती मंजू महिला कानि., श्रीमती सुशीला महिला कानि को निजी स्कुटी से मय ट्रेप बाक्स एंव लैपटॉप मय प्रिन्टर साथ लेकर ट्रेप कार्यवाही हेतु रोडवेज बस डिपो सीकर के लिये रवाना होकर रोडवेज डिपो के पास पहूँच परिवादी को मुनासीब हिदायत कर आरोपी के पास रवाना किया जाकर मन् पुलिस निरीक्षक मय ट्रेप पार्टी सदस्यो के परिवादी के मुकर्रर इशारे के इन्तजार में डिपो के आसपास मुकिम हुये।

तत्पश्चात समय करीब 01.10 पीएम पर परिवादी श्री लालसिंह ने मन् पुलिस निरीक्षक को उपस्थित होकर बताया कि मैं श्री विजय सिंह एटीआई से मिला तो उन्होने मेरे को कहा कि अभी मैडम नही आयी है मैडम के आने पर मैं आपको बुला लूंगा और मैडम के सामने ही ठीक रहेगा। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी से डिजीटल टेप रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड प्राप्त कर सूना तो परिवादी के कथनो की पुष्टि हुई। मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी को अपने साथ लेकर बस डिपो के पास ही मुकीम हो गये। समय 03.45 पीएम पर परिवादी श्री लालसिंह ने मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि मैं श्री विजय सिंह, एटीआई के पास पूनः जाकर आता हूँ एवं मैडम का भी मालूम करता हूँ क्योंकि वो मेरे से पैसे मैडम के आने के बाद ही लेंगा। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी को डिजीटल टेप रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड सुपुर्द कर पूनः बस डिपो की तरफ रवाना कर हिदायत की गई। मन् पुलिस निरीक्षक मय ट्रेप पार्टी सदस्यो के परिवादी के मुकर्रर इशारे के इन्तजार में डिपो के आसपास मुकिम हुये। तत्पश्चात समय करीब 04.10 पीएम पर परिवादी श्री लालसिंह ने मन् पुलिस निरीक्षक को उपस्थित होकर बताया कि मैं श्री विजय सिंह एटीआई से मिला तो उन्होने मेरे को कहा कि अभी मैडम नही आयी है और आज ओर कोई मतलब नही है, कल ही आना। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी से डिजीटल टेप रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड प्राप्त कर सूना तो परिवादी के कथनो की पुष्टि होती है। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान के रवाना हो समय 04.30 पीएम पर चौकी आये। परिवादी से पाउडर लगे रूपये प्राप्त कर कागज के लिफाफे में डलवाकर डिजीटल टेप रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड एवं पाउडर लगे रूपयों को अलमारी में रखे गये। परिवादी एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान को दिनांक 09.05.2023 को सुबह 09.30 एएम पर कार्यालय में उपस्थित होने की हिदायत कर रूखसत किया गया।

तत्पश्चात दिनांक 09.05.2023 को स्वतंत्र गवाह श्री सुमेर सिंह, सिपाही एंव श्री चरण सिंह पूनियां सिपाही, आबकारी निरोधक दल सीकर उतर, सीकर के उपस्थित कार्यालय आने पर मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री लालसिंह से जरिये मोबाईल फोन सम्पर्क किया तो उन्हाने बताया कि मैं तैयार हूँ एवं मैं आपको डिपो के पास ही मिलूंगा। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान श्री सुमेर सिंह एंव श्री चरण सिंह पूनियां, कार्यालय स्टाफ के, श्री कैलाशचन्द कानि. नं. 568, के जरिये सरकारी वाहन मय चालक श्री रूपेश एवं कानि. रामनिवास मोटर साईकिल व श्री रोहिताश्वसिंह एएसआई मय श्री राजेन्द्र कानि. 126 को उनकी निजी मोटर साईकिल से एवं श्रीमती सुशीला महिला कानि को निजी स्कुटी से मय ट्रेप बाक्स एंव लैपटॉप मय प्रिन्टर एवं आलमारी से डिजीटल टेप रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड के एवं पाउडर लगे रूपयो का लिफाफा साथ लेकर ट्रेप कार्यवाही हेतु रोडवेज बस डिपो सीकर के लिये रवाना होकर रोडवेज डिपो के पास पहूँचा, जहॉ परिवादी श्री लालसिंह उपस्थित मिला वाहन एवं मोटर साईकिल को साईड में रूकवाकर लिफाफे में रखे पाउडर लगे नोटो का मिलान दोनो गवाहन से पूर्व में बनी फर्द पेशकसी से करवाकर परिवादी की जामा तलाशी गवाह श्री सुमेर सिंह से लिवाई जाकर पाउडर लगे नोट परिवादी की पहनी हुई पेन्ट की सामने की दाहीने जेब में रखवाकर आरोपी से होने वाली बातचीत को रिकार्ड करने के लिए डिजीटल टेप रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड के परिवादी को सुपुर्द कर मुनासीब हिदायत की गई। ट्रेप पाट्री के सभी सदस्यो के हाथ साफ

साबुन व पानी से धुलवाये जाकर परिवादी को आरोपी के पास रवाना किया गया। मन् पुलिस निरीक्षक मय ट्रेप पार्टी सदस्यो के परिवादी के मुकर्रर इशारे के इन्तजार में डिपो के आसपास मुकिम हुआ।

तत्पश्चात समय करीब 01.05 पीएम पर परिवादी श्री लालसिंह ने मन् पुलिस निरीक्षक को उपस्थित होकर बताया कि मैं श्री विजय सिंह एटीआई से मिलने के लिए उनके कार्यालय में घुसने लगा तो उन्होने मेरे को दूर से ही इशारो में निचे इन्तजार करने को कहॉ तो मैं निचे आकर उनका इन्तजार करने लगा काफी देर वो नही आये तो मैं पुनः श्री विजय सिंह, एटीआई से मिलने की कोशिश की तो उन्हाने दूर से ईशारो में ही एक–दो दिन बाद मिलने के लिए कहॉ। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान मय परिवादी श्री लालसिंह के रवाना हो समय 01.30 पीएम पर चौकी आये। परिवादी से पाउडर लगे रूपये प्राप्त कर कागज के लिफाफे में डलवाकर एंव डिजीटल टेप रिकार्डर प्राप्त कर, डिजीटल टेप रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड एवं पाउडर लगे रूपयों को आलमारी में रखे गये।

तत्पश्चात समय 01.40 पीएम पर परिवादी लालसिंह द्वारा दौराने रिश्वत की मांग सत्यापन दिनांक 27.04.2023 को आरोपी श्री विजय सिंह, एटीआई, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, सीकर आगार, सीकर से हुई बातचीत को डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड़ किया गया, जिसको स्वतंत्र गवाहान के समक्ष डिजिटल टेप रिकार्डर को कार्यालय के कम्प्यूटर में लगाकर रिकार्डिंग वार्ता का रूपान्तरण किया गया। डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड से वार्ता का फर्द रूपान्तरण किया जाकर तीन सीडी तैयार कर आरोपी व अन्वेषण हेतु खुली रखी गई तथा डिजिटल टेप रिकार्डर से मेमोरी कार्ड को निकालकर उसे सफेद कपड़े की थैली में सील्ड कर उस पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क ''ए' अंकित कर सील्ड पैकेट को बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी रखा गया। मेमोरी कार्ड में रिकार्डेड वार्तालाप में परिवादी लालसिंह ने स्वंय की व आरोपी श्री विजय सिंह, एटीआई, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, सीकर आगार, सीकर एवं अन्य व्यक्ति श्री औकांर की आवाजों की पहचान की है।

तत्पश्चात समय 04.10 पीएम पर परिवादी लालसिंह द्वारा दौराने रिश्वत लेनदेन दिनांक 08.05.2023 को दो बार एवं दिनांक 09.05.2023 को आरोपी श्री विजय सिंह, एटीआई, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, सीकर आगार, सीकर से हुई बातचीत को डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड़ किया गया, जिसको स्वतंत्र गवाहान के समक्ष डिजिटल टेप रिकार्डर को कार्यालय के कम्प्यूटर में लगाकर रिकार्डिंग वार्ता का रूपान्तरण किया गया। डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड से वार्ता का फर्द रूपान्तरण किया जाकर तीन सीडी तैयार कर आरोपी व अन्वेषण हेतु खुली रखी गई तथा डिजिटल टेप रिकार्डर से मेमोरी कार्ड को निकालकर उसे सफेद कपड़े की थैली में सील्ड कर उस पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क ''बी' अंकित कर सील्ड पैकेट को बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी रखा गया। मेमोरी कार्ड में रिकार्डेड वार्तालाप में परिवादी लालसिंह ने स्वंय की व आरोपी श्री विजय सिंह, एटीआई, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, सीकर आगार, सीकर की आवाजों की पहचान की। परिवादी लालसिंह द्वारा दौराने रिश्वत लेनदेन दिनांक 09.05.2023 को आरोपी श्री विजय सिंह, एटीआई, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, सीकर आगार, सीकर से हुई बातचीत को डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड़ किया गया के सम्बन्ध में परिवादी ने आरोपी द्वारा ईशारो में ही बात होने की बताये जाने पर उक्त रिकार्डशुदा वार्ता को सुना गया तो उसमें वाहनो के चलने और बस डिपो पर लगे लाउड स्पीकरो की आवाज एवं अन्य शौरगुल ही आ रहा है। जिस कारण वार्ता का रूपान्तरण नही किया गया। समय करीब 07.15 पीएम पर दोनो स्वतंत्र गवाहान को गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत कर रूखसत किया गया एवं परिवादी श्री लालसिंह को आरोपी द्वारा सम्पर्क करने पर मन् पुलिस निरीक्षक को अवगत करवाने की हिदायत कर रूखसत किया गया।

तत्पश्चात दिनांक 25.05.2023 को समय 08.50 पीएम पर परिवादी लालसिंह उपस्थित कार्यालय आया एवं मन् पुलिस निरीक्षक को परिवादी ने बताया कि श्री विजय सिंह एटीआई को मेरे पर शक हो गया है इसलिये वह अब मेरे से रिश्वत के रूपये नहीं लेगा। परिवादी ने यह भी बताया कि उसने मेरी गाडिया सीकर डिपो से ट्रासफर करवा दी

है साथ ही मेरे को धमकी दी गई है कि आपको और आपकी गाडियो को सीकर में नही रहने दूंगा। परिवादी ने अपने द्वारा पूर्व में प्रेषित रिश्वती राशि लौटाने की कही, जिस पर परिवादी को रिश्वती राशि के नोट 20,000 रूपयो को पाउडर मुक्त कर परिवादी को जरिये रसीद पृथक से सुपुर्द किये गये।

उपरोक्त की गई कार्यवाही के आधार पर आरोपी श्री विजय सिंह, एटीआई, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, सीकर आगार, सीकर द्वारा अपने पद का दुरूपयोग करते हुये परिवादी द्वारा फर्म मैसर्स ढिलो हाईवे रजि. बरनाला पंजाब वालो से दो बसे लेकर सीकर आगार में चुरू–जयपुर रूट पर लगा रखी बसो को सीकर से जोधपुर रूट पर लगाने की एवज में परिवादी से 20,000 रूपये बतौर रिश्वत की मांग की गई है, जिसकी पुष्टि रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 27.04.2023 को परिवादी की आरोपी श्री विजय सिंह से हुई वार्ता से होती है। हालांकि मांग के अनुसार आरोपी श्री विजय सिंह, एटीआई, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, सीकर आगार, सीकर को परिवादी पर शक होने के कारण रिश्वती राशि प्राप्त नहीं की है। आरोपी श्री विजय सिंह, एटीआई, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, सीकर आगार, सीकर द्वारा परिवादी से 20,000 रूपये बतौर रिश्वत मांग करना, कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के तहत दण्डनीय अपराध है।

अतः आरोपी श्री विजय सिंह पुत्र श्री बलवंतदान उम्र 59 वर्ष जाति चारण निवासी ग्राम पोस्ट काशी का बास, पुलिस थाना सदर सीकर, जिला सीकर हाल एटीआई, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, सीकर आगार, सीकर के विरूद्व अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते कमांकन हेतु सीपीएस एसीबी, जयपुर को प्रेषित है।

(सुरेशचन्द)
पुलिस निरीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सीकर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री सुरेशचन्द, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सीकर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री विजय सिंह पुत्र श्री बलवंतदान, हाल एटीआई, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, सीकर आगार, सीकर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 169/2023 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

03/7/23
(कालूराम रावत)
उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांकः- 2171-74 दिनांक 03.07.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, क्रम संख्या-2 जयपुर।
2. प्रबंध निदेशक, रा.रा.प.प.नि., मुख्यालय, जयपुर।
3. पुलिस अधीक्षक-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सीकर।

03/7/23
उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।